



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)473/P/FP/Vol.VI

प्रधान कार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 08-02-2016

आर बी ई सं/RBE No. 12 / 2016

पी बी सी सं/ PBC No: 16 / 2016

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units,
etc.,


(As per mailing list -'A')

विषय/Sub: Family Identity Cards to retiring / retired railway
employees.

A copy of Railway Board's letter No.E(W) 2003/PS 5-8/1 dated 29-01-
2016 (RBE No. 12/2016) alongwith with Annexure-1 on the above subject is
enclosed for information, guidance and necessary action.


Railway Board's letter dated 16-03-2015 referred therein has been
circulated under PBC 27 / 2015.

संलग्न/Encl: as above


(B.INDUMATHY)
Asst. Personnel Officer/M&E
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR



No. E(W) 2003/PS 5-8/1

New Delhi, Dated 29.01.2016

The General Managers(P)

&

The General Managers(Commercial),
All Indian Railways.

Sub: Family Identity Cards to retiring/retired railway employees

Ref: Board's letter of even No. dated 16.03.2015.

In terms of Board's letter cited under reference, Family Identity Cards (FICs) are to be issued to retiring/retired railway employees and the Widows of railway employees with life time validity.

2. The issue of simplification of FICs, presently in the form of a booklet, was considered and with the approval of Board, it has been decided that individual FICs should be issued to the retiring/retired railway officials and the Widows of railway employees in the form of computer printed and laminated cards on the model enclosed as Annexure-I. As it is stipulated in the Pass Rules that the Railway Administration should issue FIC, for the first time simplified FICs may be issued free of cost. However, issue of duplicate FICs should be on receipt of a written request, accompanied by a copy of FIR filed on loss of the card and payment @ ₹25/- per card.
3. The Railways should commence issue of individual FICs within 2 months from the date of issue of these instructions. It has also been decided that in order to avoid any rush, FICs in the booklet form issued till March 2015 with 7 years validity may be replaced free of cost with individual FICs as and when they become due for renewal. However, if any retired official requests for individual FICs in lieu of old FIC before the expiry of validity, such requests may not be denied and individual FICs should be issued free of cost treating it as renewal. In case of officials who retired after April 2015 and got an FIC with life time validity, they may be allowed to get it replaced with individual FICs, free of cost, as per their convenience. FICs in the booklet form will, however, continue as a valid identity proof for travel on PRCP till its replacement with individual FICs in due course so that pensioners do not face any problem while travelling. Individual FICs for travel on Widow Passes may also be issued on the same model.

4. The following instructions issued vide Board's letter of even no. dated 04.06.2003 would continue to be in force:-

- (i) The identity card should be carried by the spouse/dependent children during journey and produced on demand by the Ticket Checking Staff.
- (ii) The FICs, will be issued by the office from where the employees retired.
- (iii) In case of retired employees/Widows drawing Post-retirement Complimentary Pass/Widow Pass from an office other than the office where the original FIC was issued, the renewal of the FIC shall be done by the authority who is issuing the pass to the applicant. For the purpose of renewal, the applicant shall submit the old FIC based on which renewal will be done.
- (iv) Any addition in the FIC shall be done only by the office who issued the FIC for the first time. Renewing authorities shall have no power to carry out any addition in FIC. However, deletion of eligible member in FIC on account of death, marriage of daughter, etc. may be allowed on request.

5. Aadhaar No., if available may be incorporated in the FICs as indicated in the format. Necessary action may be taken by the Railways accordingly.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.



(Sunil Kumar)

Director Establishment(Welfare)

Railway Board

Encl: Annexure-I.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2003/पीएस 5-8/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.01.2016

महाप्रबंधक (कार्मिक)

एवं

महाप्रबंधक(वाणिज्यिक),

सभी भारतीय रेलें।

विषय: सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को परिवार पहचान-पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 16.03.2015 का समसंख्यक पत्र।

बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों की विधवाओं को जीवनपर्यन्त वैधता वाले परिवार पहचान-पत्र (एफआईसी) जारी किए जाने हैं।

2. परिवार पहचान-पत्रों, जो इस समय बुकलेट के रूप में हैं, के सरलीकरण के मामले पर विचार किया गया था और बोर्ड के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों की विधवाओं को अनुलग्नक-1 में संलग्न मॉडल के अनुसार कंप्यूटर मुद्रित और लेमिनेटेड कार्ड के रूप में व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र जारी किए जाएं। जैसाकि पास नियमों में रेल प्रशासन द्वारा परिवार पहचान पत्र जारी किया जाना नियमित है, अतः पहली बार सरलीकृत परिवार पहचान-पत्र निःशुल्क जारी किए जाएं। डुप्लीकेट परिवार पहचान-पत्र के लिए लिखित अनुरोध (जिसके साथ कार्ड के गुम हो जाने के संबंध में दायर की गई एफआईआर की प्रति संलग्न हो) प्राप्त होने पर और प्रति कार्ड ₹ 25/- की दर से भुगतान किए जाने पर डुप्लीकेट परिवार पहचान-पत्र जारी किया जाएगा।

3. रेलों द्वारा इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्रों को जारी करना आरंभ किया जाए। यह भी विनिश्चय किया गया है कि सभी लोगों द्वारा एक साथ ही इसकी मांग किए जाने की स्थिति से बचने के लिए मार्च, 2015 तक बुकलेट के रूप में जारी किए गए 7 वर्ष की वैधता वाले परिवार पहचान-पत्रों का जब कभी नवीकरण होना नियत हो तो उनके बदले व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र निःशुल्क बनाए जाएं। बहरहाल, यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी वैधता समाप्त होने से पूर्व पुराने परिवार पहचान-पत्र के बदले व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र के लिए अनुरोध करता है तो ऐसे अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जाए और इसे नवीकरण की तरह ही मानते हुए व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र निःशुल्क जारी किए जाएं। अप्रैल, 2015 के बाद सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारी जिनके पास जीवनपर्यन्त वैधता वाला परिवार पहचान-पत्र है, उनको उनकी सुविधानुसार व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र निःशुल्क जारी करवाने की अनुमति दी जाए। बहरहाल, बुकलेट वाले परिवार पहचान पत्रों को यथासमय व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्रों में बदले जाने तक बुकलेट वाले परिवार पहचान-पत्र पीआरसीपी पर यात्रा करने के लिए वैध पहचान प्रूफ रहेंगे, ताकि यात्रा करते समय पेंशनरों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार विधवा पासों पर यात्रा के लिए भी व्यक्तिगत परिवार पहचान-पत्र जारी किए जाएं।

4. बोर्ड के दिनांक 04.06.2003 के समसंख्यक पत्र के तहत जारी किए गए निम्नलिखित अनुदेश लागू रहेंगे:-
- (i) यात्रा के दौरान यह पहचान-पत्र पति/पत्नी/आश्रित बच्चों के पास होना चाहिए और टिकट चैंकिंग स्टाफ द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 - (ii) जिस कार्यालय से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उस कार्यालय से परिवार पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
 - (iii) उस कार्यालय, जहां से मूल परिवार पहचान-पत्र जारी किया गया था, से इतर कार्यालय से सेवानिवृत्ति उपरान्त मानार्थ पास/विधवा पास पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों/विधवाओं के मामले में परिवार पहचान-पत्रों का नवीकरण उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो आवेदक को पास जारी कर रहा है। नवीकरण के प्रयोजन के लिए आवेदक को पुराना परिवार पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर नवीकरण किया जाएगा।
 - (iv) परिवार पहचान-पत्र में कोई भी परिवर्धन केवल उसी कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा जिसने पहली बार परिवार पहचान-पत्र जारी किया हो। नवीकरण करने वाले प्राधिकारियों को परिवार पहचान-पत्र में कोई परिवर्धन करने का अधिकार नहीं होगा। बहरहाल, मृत्यु, पुत्री के विवाह आदि के कारण परिवार पहचान-पत्र में पात्र सदस्य का नाम हटाने का अनुरोध किए जाने पर नाम हटा दिया जाए।
5. फॉर्मेट में दिए गए अनुसार आधार नं., यदि उपलब्ध हो तो इसे परिवार पहचान पत्रों में शामिल किया जाए। तदनुसार, रेलों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए।
6. यह पत्र रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(सुनील कुमार)


निदेशक स्थापना (कल्याण)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक: अनुलग्नक-1

परिवार पहचान पत्र नमूना/MODEL FAMILY IDENTITY CARD
(पहचान- पत्र द्विभाषी हो तथा इसका आकार 9.5x5.5 सेमी हो)
(Identity Card must be bilingual and of the size of 9.5x5.5 cm)


(i) सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लिए/For Retired Railway Official

परिवार पहचान पत्र का अग्र भाग/Front side of FIC	
भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड	 Government of India सं./No. _____ Ministry of Railways Railway Board
सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी का पहचान पत्र/ RETIRED RAILWAY OFFICIAL'S IDENTITY CARD	
नाम/ Name : सेवानिवृत्ति के समय पद/ Post held on Retirement : आरयूआईडी/ RUID : आधार संख्या/ Aadhaar No. : जन्म तिथि/ Date of Birth :	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> फोटो/ Photo </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;"> कार्डधारक के हस्ताक्षर/ Sign. Of Card holder </div>
जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम Signature & Designation of Issuing Officer	

परिवार पहचान पत्र का पिछला भाग/Back side of FIC			
निवास पता Res. Add.			
दूरभाष संख्या Tel No.:	रक्त समूह/Blood Group:		
परिवार के अन्य सदस्यों का ब्यौरा जो पीआरसीपी के लिए पात्रता रखते हैं/ Details of other family members eligible for PRCP.			
क्रम सं./ S.No.	नाम/Name	जन्म तिथि/ Date of Birth	संबंध/ Relationship
अनुदेश/Instructions			
<p>यह कार्ड सेवानिवृत्त मानार्थ पास(पीआरसीपी) पर यात्रा करते समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए और यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए मान्य नहीं है. इस कार्ड और/या पीआरसीपी का दुरुपयोग करने पर सुविधा रद्द या स्थायी रूप से वापस ले ली जाएगी. यह कार्ड अहस्तांतरणीय है. इस कार्ड के गुम होने की सूचना पुलिस और जारीकर्ता प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए. यदि किसी को यह पहचान पत्र मिले तो कृपया इसे जारी करने वाले प्राधिकारी, रेल भवन, नई दिल्ली 110001 को सौंप दें.</p>			
<p>This Card must be produced while travelling on Post Retirement Complimentary Pass (PRCP) and is not valid for any other purpose. Misuse of this Card and/or PRCP will cause cancellation/permanent withdrawal of the facility. This Card is not transferable. Loss of this Card should be reported to the Police and Issuing Authority. If found, please return to the Issuing Authority, Rail Bhawan, New Delhi-110001.</p>			

(ii) सेवानिवृत्त कर्मियों के पति/पत्नी/ परिवार के पात्र सदस्य/सदस्यों के लिए (प्रत्येक पात्र सदस्य को अलग-अलग कार्ड जारी किया जाए)/

For Spouse/eligible family member(s) of retired official (individual Card to be issued to each eligible member)

परिवार पहचान पत्र का अग्र भाग/Front Side of FIC		
भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड	 Government of India Ministry of Railways Railway Board	सं./No. _____
सेवानिवृत्त रेलकर्मियों का पारिवारिक पहचान पत्र/ RETIRED RAILWAY OFFICIAL'S FAMILY IDENTITY CARD		
कार्ड धारक का नाम/ Name of Card Holder :		कार्डधारक की फोटो/ Photo of Card holder
आधार संख्या/ Aadhaar No. :		
जन्म तिथि/ Date of Birth :		
सेवानिवृत्त रेलकर्मियों का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर/ Name, Designation on retirement & Signature of retired official :		
सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के साथ कार्ड धारक का संबंध/ Relationship of card holder With retired official :		
जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम Signature & Designation of Issuing Authority		

परिवार पहचान पत्र का पिछला भाग/Back side of FIC	
निवास पता Res. Add.	
दूरभाष संख्या Tel No.:	रक्त समूह/Blood Group:
अनुदेश/Instructions	
यह कार्ड सेवानिवृत्त मानार्थ पास(पीआरसीपी) पर यात्रा करते समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए और यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए मान्य नहीं है. इस कार्ड और/या पीआरसीपी का दुरुपयोग करने पर सुविधा रद्द या स्थायी रूप से वापस ले ली जाएगी. यह कार्ड अहस्तांतरणीय है. इस कार्ड के गुम होने की सूचना पुलिस और जारीकर्ता प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए. यदि किसी को यह पहचान पत्र मिले तो कृपया इसे जारी करने वाले प्राधिकारी, रेल भवन, नई दिल्ली 110001 को सौंप दें.	
This Card must be produced while travelling on Post Retirement Complimentary Pass (PRCP) and is not valid for any other purpose. Misuse of this Card and/or PRCP will cause cancellation/permanent withdrawal of the facility. This Card is not transferable. Loss of this Card should be reported to the Police and issuing Authority. If found, please return to the Issuing Authority, Rail Bhawan, New Delhi-110001.	